MORALE (मनोबल)

भूमिका (Introduction) :- प्रशासन में कार्यकुशलता हेतु जो सहायक तत्त्व होते हैं उनमें
लोक अधिकारियों में मनोबल एक महत्वपूर्ण तत्त्व है। नेपोलियन का मत था कि युद्ध
कौशल में भाग लेनेवाले चार तत्वों – संरचना, हथियार, प्रशिक्षण तथा मनोबल के कुल
योगदान में 75% योगदान तो सिर्फ मनोबल का ही रहता है।

मनोबल अधिकारियों की मानसिक स्थिति है जो स्वस्थ रोजगार
व्यवस्था का सूचक है। इसके साथ ही यह दक्षतापूर्ण संगठन के निर्माण में सकारात्मक तत्व
है। यह उपलब्धि के प्रयास को शक्ति प्रदान करता है जिसके कारण उदासीनता नहीं आ पाती है।
जागरूक सतर्कता करते बिना भी तमाम छोटी से छोटी घटनाओं से बचाव हो जाता है जो
अच्छा प्रशासन में बाधक का कारण नहीं बनता है।

अर्थ — एक स्वस्थ मनोबल मिलजुलकर काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है।
ब्रिटिश सिविल सेवा की असाधारण, सफलता का रहस्य उसके कर्मचारियों को उच्च मनोबल
प्रदान करता है। उच्च मनोबल मस्तिष्क की एक दशा है जिसमें स्त्री-पुरुष स्वेच्छा से
अपनी पूर्ण शक्तियों के विकास का प्रतीक है, जो उपलब्धियों एवं आत्म गौरव के लक्ष्य से
मानसिक और नैतिक संतुष्टि दिलाता है। सेवा में मनोबल का वही महत्व है जो शरीर के
लिए अच्छे स्वास्थ्य का है। मनोबल व्यक्तियों को अपने-अपने क्षेत्रों में तत्परतापूर्वक कार्यक्रम
को प्रेरित करता है जिसे वे साधारण धन के लालच या दण्ड के भय से नहीं कर सकते।

डीमॉक (Demock) के अनुसार "मनोबल व्यक्ति को आत्म सम्मान
पैदा करता है और उसको व्यक्तिगत विकास का अवसर प्रदान करता है। यह व्यक्ति में
उसके चारों ओर की स्थिति के प्रति अपनापन और विश्वास पैदा करता है। मनोबल किसी
व्यक्ति अथवा व्यक्तिसमूह की आंतरिक सम्पत्ति है। यह मस्तिष्क या दृष्टिकोण की आंतरिक
अवस्था है। इसके व्यक्तिगत से संस्थागत दो रूप हैं। जिससे उसकी निजी शक्ति
और प्रतिष्ठा बढ़ती है। संस्थागत रूप में यह एक आकर्षक व्यक्ति समूह का रूप धारण
कर लेता है और संगठन में सहयोग की भावना को जन्म देता है, जिसके कारण कर्मचारी
संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों से तादात्म्य स्थापित कर लेता है।

L.D. White के मत में "मनोबल वह सामूहिक मानसिक स्थिति है
जिसके अन्तर्गत व्यक्ति को स्वयं किये गये कार्यों के संबंध में पर्याप्त प्रसन्नता होती है।
मनोबल के कारण व्यक्ति को अपने कर्तव्यपालन तथा सद्व्यवहार से संतुष्टि प्राप्त होती है।"

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मबल किसी सामान्य लक्ष्य की
प्राप्ति के लिए किसी समूह के सदस्यों में निरन्तर कार्य करने की क्षमता है। यह किसी संगठन
या समूह के कार्यों में प्रसन्नतापूर्वक सहयोग की इच्छा है। यह एक पारस्परिक प्रक्रिया है,
जो अति सूक्ष्म है। परन्तु यदि यह एक बार प्रारंभ हो जाय तो सारे समूह में व्याप्त
हो जाती है और एक ऐसी मनोदशा को जन्म देती है जिससे सामान्य दृष्टिकोण का
निर्माण होता है।

मनोबल के निर्माण में अनेक तत्व काम करते हैं। मनोबल मानसिक
एवं भावनात्मक गुण है। मानसिक रूप से इसका निर्माण सूचना, समझ और संचार

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

जिनकी प्राप्ति के लिए कर्मचारियों को नियोजन, निरीक्षण और भर्ती की गति विधियों में भाग लिये जाने की स्थिति से पैदा होता है। भावनात्मक रूप से इसका पोषण, सही नेतृत्व, टीम भावना तथा शिक्षण के माध्यम से होता है।

साधारणतः मनोबल के निर्माण में निम्नांकित तत्वों का योगदान होता है :-

(I) कर्मचारियों को अपने संगठन के प्रयोजन एवं उद्देश्य का पूर्ण ज्ञान :- उच्च मनोबल की प्राप्ति के लिए कर्मचारी को अपने संगठन के प्रयोजनों एवं उद्देश्यों की भली-भाँति ज्ञान होना चाहिए, उसे अनेक सामाजिक मूल्यों पर विश्वास होना चाहिए जिससे वह अपने कार्य के उद्देश्यों की भली भाँति समझे और ठीक उसके ही अनुरूप अपने मस्तिष्क को निर्देशित कर सके। इस ज्ञान से उसे अपने कार्य के मूल्य को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। सिर्फ जीवन यापन के लिये गये काम से उपलब्धि में सकारात्मक संतुष्टि नहीं मिलती।

(II) उच्च अधिकारियों की सत्यनिष्ठा और इरादों पर विश्वास :- नीचले कर्मचारियों की अपने उच्चाधिकारियों की सत्यनिष्ठा और इरादों पर भी विश्वास भी मनोबल को उन्नत करता है। जहाँ अधिकारियों के संबंध में पक्षपात का संदेह रहता है या उनके द्वारा सताये जाने का भय रहता है, वहाँ कर्मचारियों का मनोबल टूट जाता है। अतः उच्च-अधिकारियों को निष्पक्ष, ईमानदार और न्यायप्रिय होना चाहिए। उन्हें घटिया किस्म की बातों एवं भ्रष्टाचार तथा अनुचित राजनीतिक दबाव में नहीं पड़ना चाहिए।

(III) नीति-निर्माण एवं संगठनों में कर्मचारियों की भागेदारी :- नीति निर्धारण एवं संगठन में कर्मचारियों को भाग लेने के अवसर देने से उनका मनोबल बढ़ता है जहाँ तक संभव हो कर्मचारियों को अपने कार्य की योजना बनाने शामिल होने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। संगठन के कर्मचारियों में समूह, भावना उत्पन्न करने का प्रत्येक प्रयास किया जाना चाहिए और कर्मचारियों को अच्छे सेवक के रूप में अपने को प्रस्तुत करनी चाहिए।

(IV) प्रेरक नेतृत्व :- प्रेरक नेतृत्व मनोबल को उन्नत करने में बड़ा सहायता हो सकता है, बड़े अधिकारियों को अपने व्यवहार द्वारा आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। एक बड़ा अधिकारी अपने व्यक्तिगत एवं कुशल प्रभाव द्वारा अपने सहकर्मियों, अधिनस्थों को काफी प्रभावित कर सकता है। निदेशक अध्यक्ष या विभागीय सचिव अपने आपको कमाण्डर समझने के स्थान पर दार्शनिक, पथप्रदर्शक एवं मित्र समझें। वरिष्ठ अधिकारियों को अपने अधिनस्थों के निजी जीवन और कठिनाइयों में रूचि लेनी चाहिए।

(V) कार्मिक निष्ठा :- कार्मिक निष्ठा भी सेवाओं के मनोबल को उन्नत करती है। एक सफल उच्च अधिकारी अपने अधिनस्थों में लगन की भावना उत्पन्न करता है, प्रत्येक अधिकारी को अपने-अपने ढंग अधिनस्थों के साथ कुशल व्यवहार ही कार्मिक निष्ठा को उजागर करता है। यदि उच्चाधिकारी स्वयं आचार संहिता का पालन करते हैं तो कार्यों में तीव्रता जारी रहता है जिससे मनोबल में वृद्धि होता है जो उन्नति के मार्ग की ओर व्यक्ति आकृष्ट कराता है।

(VI) मान्यता :- मनोबल मान्यता पर भी निर्भर करता है, प्रशंसा या

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

मान्यता की इच्छा मानव का स्वाभाविक गुण है। यदि कोई कर्मचारी अद्वितीय कार्य करता है तो उसे उचित मान्यता मिलनी चाहिए। निजी उद्योगों में मालिक कर्मचारी का वेतन बढ़ाकर तथा उसे पुरस्कृत कर उसके सराहनीय कार्य को मान्यता देता है। कर्मचारियों को सराहनीय कार्यों के लिए सार्वजनिक रूप से उसके कार्यों की प्रशंसा की जानी चाहिए। इस तरह अद्वितीय तथा सराहनीय कार्य के लिए उचित मान्यता को उन्नत करने में सहायक होता है।

(vii) सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच सहयोग का विकास :- मनोबल को उन्नत करने के लिए सरकार और कर्मचारी संगठनों के बीच संबंध और सहयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में एक स्वस्थ परंपरा का निर्माण और विकास होना चाहिए। वर्तमान समय में ऐसा देखा जाता है कि कर्मचारियों को काफी समय प्रबंधकों से झगड़ा करने में बेकार हो जाता है यदि कर्मचारी संगठनों के माध्यम से कर्मचारियों के दृष्टिकोण को ठीक तरह से समझा जाय तो इससे अनेक गलतफहमियाँ दूर हो सकती है और उन संदेहों को मिटाया जा सकता है जो कर्मचारियों के दृष्टिकोण को धूमिल और संकीर्ण बनाते है।

(viii) कार्य करने की परिस्थितियों में सुधार :- कर्मचारियों के मनोबल को उन्नत करने के लिए यह भी आवश्यक है कि उनके कार्य की परिस्थितियों में सुधार हो, उन्हें अच्छा वेतन मिले, उनकी सेवा सुरक्षित हो, उन्हें पदोन्नति के समुचित अवसर प्रदान हो, छुट्टी की सुविधा मिले, पद निवृति पर संतोषजनक पेंशन मिले और रहने के लिए आरामदेय मकान की सुविधा उपलब्ध हो। यदि सभी सुविधाएँ कर्मचारियों को उपलब्ध होती है तो कोई कारण नहीं कि कर्मचारियों का मनोबल ऊँचा नहीं होगा।

निष्कर्ष :- इस प्रकार यह स्पष्ट है कि लोकप्रशासन को उत्पादिता बढ़ाने और दक्षता प्राप्त करने के लिए मनोबल बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक है। मनोबल को भय से नहीं बल्कि उत्प्रेरक से उन्नत किया जा सकता है। सर्वोत्तम उत्प्रेरक स्वयं विकसित मनोबल है जो कर्मचारियों की स्वस्थ मनः स्थिति का द्योतक है। भौतिक उत्प्रेरक भी कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए कदापि अवांछ नहीं हो मनोबल को उन्नत करने के लिए इन बातों पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रशासकीय सुधार आयोग ने भी गौर किया है और उसने इस सम्बन्ध में उपयुक्त अनुशंसा की है।

(समाप्त)

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष- राजनीति विज्ञान
डी॰ के॰ कालेज, डुमराँव
दिनांक - 10/07/20

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

को सम्पन्न करता है। भारत में लोकसम्पर्क हेतु निम्नलिखित एजेन्सियाँ / सरकारी कार्य कर रही हैं :—

(I) आल इण्डिया रेडियो निदेशालय (Director General of All India Radio) :— भारत में प्रसारण निदेशालय को All India Radio कहा जाता है। यह प्रचार तथा लोकसम्पर्क का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। इसके द्वारा युवकों, महिलाओं, स्कूली बच्चों, किसानों, ग्रामीण जनता, श्रमिक आदि के लिए विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत किये जाते हैं। इन कार्यक्रमों के द्वारा जनता को सरकारी योजनाओं के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी मिलती है। आल इण्डिया रेडियो भिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में 180 से अधिक दैनिक समाचार बुलेटिन प्रस्तुत करता है। इनमें से 136 से अधिक बुलेटिन गृह सेवाओं में तथा 44 से अधिक बाह्य सेवाओं में कार्यरत हैं।

(II) प्रेस सूचना ब्यूरो (Press Information Bureau) :— यह भारत सरकार का मुख्य प्रचार संगठन है। यह प्रेस के माध्यम से लोगों को सरकार के कार्यकलापों तथा नीतियों से अवगत कराकर तथा सरकार को लोकमत की मुख्य प्रवृत्तियों की सूचना देकर सरकार और जनता के बीच एक कड़ी का काम करता है। यह केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के लिए वांछित सामग्री भी एकत्रित करता है। इसके अतिरिक्त यह मंत्रियों तथा बड़े अधिकारियों के लिए प्रेस सम्मेलनों की भी व्यवस्था करता है जिससे महत्वपूर्ण सरकारी निर्णयों और नीतियों का स्पष्टीकरण हो सके।

(III) विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार निदेशालय (Directorate of Advertising and Visual Publicity - D.A.V.P) :— यह प्रेस, पोस्टरों, फोल्डरों, कैलेण्डरों, डायरियों तथा सिनेमा स्लाइडों इत्यादि द्वारा भारत सरकार के विज्ञापनों को तैयार करने तथा प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त यह सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशनों और विज्ञापनों की बिक्री के लिए भी उत्तरदायी है।

(IV) प्रकाशन सम्भाग (Publication Division) :— यह सम्भाग लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पुस्तकों, पत्रिकाओं तथा एलबमों आदि का निर्माण वितरण तथा विक्रय के लिए उत्तरदायी है। इसके कार्य के द्वारा सरकार की क्रियाओं, देश के दर्शनीय स्थानों तथा विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में जनता को जानकारी प्रदान की जाती है।

(V) फिल्म सेंसर का केन्द्रीय बोर्ड (Central Board for film Censors) :— यह मुम्बई में स्थित है जिसे 1952 में लोकप्रदर्शन के लिए फिल्मों को अनुमोदित करने के लिए बनाया गया है। यह फिल्मों की जाँच करता है और जनता में प्रदर्शन के लिए प्रमाणित करता है। अबाध प्रदर्शन के लिए इसके द्वारा 'U' प्रमाण-पत्र दिया जाता है केवल वयस्कों के लिए 'A' प्रमाण-पत्र दिया जाता है।

(VI) अनुसंधान तथा सन्दर्भ-सम्भाग (Research and Reference Division) :— प्रचार कार्य के विषय के सम्बन्ध में मूलभूत अनुसंधान कार्य करता है। यह विभाग प्रचलित तथा अन्य विषयों पर अनुसंधान करके आधारभूत तथ्यों की जानकारी देता है, जो सरकारी विभागों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त यह सम्भाग समय-समय पर सूचना मंत्रालय अथवा अन्य मंत्रालयों द्वारा भेजे गये विभिन्न प्रसंगों पर भी अनुसंधान करता है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

(VII) भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय (Office of the registrar of News papers for India) :- भारतीय समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय भारत में समाचार पत्रों के प्रकाशन, मूल्य तथा स्वामित्व आदि के बारे में आँकड़े रखता है तथा समय-समय पर इन आँकड़ों के माध्यम से लोकसम्पर्क की उपलब्धियों पर विचार करता है।

(VIII) पंचवर्षीय योजना प्रचार कार्यालय (Five years Plan publicity Division):- पंचवर्षीय योजनाओं के विभिन्न पहलुओं के सन्दर्भ में विस्तृत एवं व्यापक जानकारी उपलब्ध कराता है क्योंकि भारत का समग्र विकास इन पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से ही हो पाता है। जनसाधारण के सहयोग के बिना विकास की कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती है। अतः भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में पंचवर्षीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रसार के लिए अलग विभाग का गठन किया गया है।

(IX) महानिदेशक दूर दर्शन का कार्यालय (Director General of Television) :- भारत में 15 Sep 1963 को ही दूरदर्शन का प्रारंभ हो गया था परन्तु इसका वास्तविक विस्तार 1980 के बाद हुआ। 1982 में एशियाई खेलों के अवसर पर रंगीन टेलीविजन की सेवा प्रारंभ की गयी। 1980-90 के बीच भारतीय लोकसम्पर्क का सबसे प्रभावशाली साधन बन गया। प्रारंभ में दूरदर्शन आकाशवाणी विभाग में ही रखा गया था परन्तु बाद में इसके लिए अलग से दूरदर्शन महानिदेशालय की स्थापना की गयी। इस विभाग का प्रमुख दूरदर्शन महानिदेशक (Director General of Doordarshan) होता है तथा उसके कार्यों में सहायता के लिए समस्त देश में अनेक कार्यालय फैले हुए हैं। यह महानगरों के साथ साथ राज्यों की राजधानियों में भी प्रसारण सेवा उपलब्ध कराती गयी है। भारत में 90% से अधिक जनता दूरदर्शन ट्रांसमिशन के विभिन्न प्रसारण केन्द्रों के माध्यम से कार्यक्रम देख सकती है। लोकसम्पर्क के इस माध्यम पर कभी-कभी सरकार का इतना अधिक नियंत्रण हो जाता है कि लोग इसे 'सरकारी भोंपू' कहते हुए दूरदर्शन को स्वायत्तता देने की माँग करते रहे हैं। इसकी स्वायत्तता के लिए सरकार ने प्रसार भारती विधेयक लागू किया। अब लोकसभा, राज्यसभा की कार्यवाही का दूरदर्शन से सीधा प्रसारण होने लगा है। पारदर्शिता (Transparency) पहले से ज्यादा सम्भव हो गया है।

(X) भारतीय लोकसम्पर्क संस्थान (Indian Institute of Public Relations) :- इसकी स्थापना 17 Aug 1965 को नई दिल्ली में गयी थी। यह संस्थान सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक कार्यकारिणी परिषद द्वारा संचालित है। भारतीय लोकसम्पर्क संस्थान का प्रमुख उद्देश्य लोकसम्पर्क के क्षेत्र का उन्नत अध्ययन करना एवं उन संभावनाओं का पता लगाना है जिसके माध्यम से सरकार की बात जनसाधारण तक प्रभावशाली ढंग से पहुँचायी जा सके। यह संस्थान लोकसम्पर्क से सम्बन्धित समस्याओं पर विचार करने के लिए उच्च स्तरीय सेमिनार एवं व्याख्यानों का भी आयोजन करता है।

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA

आलोचना तथा निष्कर्ष

भारत में लोकसम्पर्क के माध्यमों पर सरकार के साथ पक्षपात करने का आरोप लगाया जाता है। यह कहा जाता है कि सरकार और सरकारी दल अपने लाभ के लिए इन साधनों का अनुचित प्रयोग करते हैं। सरकार के द्वारा इनके कार्यों के संबंध में किये गये हस्तक्षेप से इसकी पुष्टि होती है।

अच्छे लोकसम्पर्क की व्यवस्था के लिए लोकसम्पर्क के साधनों की स्वतंत्रता निहायत जरूरी है। जहाँ तक सम्भव हो इन्हें सरकारी हस्तक्षेप और सरकार के द्वारा प्रचार के साधनों के अनुचित और अपने हित में प्रयोग करने से बचाना होगा। लोकसम्पर्क पर ही लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है। लोकसम्पर्क के माध्यम से जनतंत्र की रक्षा तथा प्रहरी का कार्य करते हैं। अतः इन्हें पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और अनुचित नियंत्रण तथा हस्तक्षेप से इनकी रक्षा की जानी चाहिए।

डॉ० राजू मोची
विभागाध्यक्ष - राजनीति विज्ञान
डी. के. कॉलेज, डुमराँव
दिनांक 11/07/20

REDMI NOTE 6 PRO
MI DUAL CAMERA